Rny other Competent Authority

FORAMT OR OBC-NCL Certificate

CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES - NON CREAMY LAYER (OBC - NCL) APPLYING FOR ADMISSION TO CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (CEIS), UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri/Smt./Kum* Rohiet Son/ Do	aughter*
of Shri/Smt.* Sanjay Drasad of	Village/
Town* Oliya District/Division* UHazkashe	in the
State/Union Territory Ulfarakhand belongs to	
community that is recognized as a backward cla	
Government of India**, Ministry of Social Justice and Empowerment's Bearly	tion No.
12015/05/2011- alotto 1 dated 17 Feb 2214	
Shri/Smt./Kum and/or	
his/her family ordinarily reside(s) in the	on of the
NOT belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule	ne does
Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93- Estt. (SC	e to the
08/09/93 which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt.(Res.) dated 09/03/2004,	further
modified vide OM No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 14/10/2008, again further modified vide	vide OM
No.36036/2/2013-Estt (Res) dtd. 30/05/2014.	vide Oivi
District Magic	

Seal

Please delete the word(s) which are not applicable.

As listed in the Annexure (for FORM-OBC-NCL)

Dated: 11-02-2020

- The authority issuing the certificate needs to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC. NOTE:
- (a) The term 'Ordinarily resides' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People

(b) The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:

District Magistrate/ Additional Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ Ist Class Stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar' and

(iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides

महत्त्वपूर्ण / समयबद्ध

कार्यालय – मुख्य शिक्षा अधिकारी,देहरादून।

email-deo.dehradun.dir@gmail.com ph.0135-2787028

सेवा में

खण्ड शिक्षा अधिकारी.

विकासनगर/सहसपुर/रायपुर

देहरादुन ।

इन्स**०अ**० /

21941-45

/2019-20

दिनांक 19 जनवरी 2020

पत्रांक : विषय:

एन०टी०एस० (प्रथम चरण) परीक्षा 2019-20 में ओ०बी०सी० श्रेणी के चयनित छात्रों के

OBC Non Creamy Layer प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० उत्त्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक : SCERT / 6129-31 / NTS Exam 2019-20 / दिनांक 25 जनवरी 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत करवाया गया है कि एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, द्वारा आयोजित एन0टी6एस0(प्रथम चरण)परीक्षा 2019-20 हेतु अम्यर्थियों का परीक्षाफल एन०सी०ई०आर०टी० दिल्ली के पत्र संख्या F.No1-15/2019/ESD/NTS-1/3280 दिनांक 17 जनवरी 2020 के अनुमोदन के उपरान्त घोषित किया जा चुका है। एन०सी०ई०आर०टी० के निर्देशानुसार OBC श्रेणी के अम्यर्थियों का औपवन्धिक (Provisional) चयन किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने विकासखण्ड के अधीनस्थ चयनित छात्र-छात्राओं के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें कि इन अम्यर्थियों के OBC Non Creamy Layer (Central/National List of OBC के अनुसार) प्रमाण-पत्र (फारमेट संलग्न) तत्काल एसा०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून को उपलब्ध करवायेँ तथा उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा एनoटीoएसo(प्रथम चरण) में चयनित अभ्यर्थी NCERT द्वारा आयोजित द्वितीय चरण की परीक्षा हेतु निर्धारित पात्रता पूर्ण न होने की स्थिति में सम्मिलित नहीं हो पायेंगे।

संलग्नक — 1) OBC Non Creamy Layer प्रमाण पत्र।

2) OBC श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों की सूची।

(आशार्म्सनी पैन्यूली) मुर्ख्य शिक्षा अधिकारी **्रे**देहरादून

पुं0सं0 : इन्स०अ०/

/2019-20 दिनांक : उक्तांकित

प्रतिलिपि – निम्नांकित् को सूचनार्थ प्रेषित –

া. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून।

अपर निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड, देहरादून।

मुख्य शिक्षा अधिकारी देहराद्न



उत्तराखण्ड सरकार

भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के निमित्त आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्वियों द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाण पत्र संख्या :UK07CAC0304/190030439

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री रोहित पुत्र संजय प्रसाद उत्तराखण्ड राज्य, उत्तरकाशी जिला, हुण्डा तहसील, ओल्या ग्राम / शहर के निवासी हैं

जो रवांस्टा/जीनपुरी समुदाय समुदाय के हैं, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिकता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12015/05/2011 - बी.सी.॥ दिनांक 17 फरवरी,2014

के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग रूप में उत्तराखण्ड राज्य के क्रमांक 4 पर मान्यता प्राप्त हैं |श्री रोहित तथा/ अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तराखण्ड राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के उत्तरकाशी जिला के निवासी हैं |

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार ,कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012 / 22 / 93 - स्या.(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों / वर्गों (नवोन्नत वर्ग) की श्रेणी से सम्बन्धित नहीं हैं।

दिनांक:

12/19/2019

केंद्र काईबी:edcodund1 बुण्डा, उत्तरकावी



Digitally signed by VIRENDRA SINGH RAWAT Date: 2019.12.19 14:42:03 +05:30